

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 नवम्बर 2024—कार्तिक 28, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. एफ 643-2377229-24-लासेप्रे-इकसठ-01 -पी.एस.जी.-05- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ 2-13-2012-लोसेप्रे-पी.एस.जी.-05. दिनांक 18 मई 2015 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.7 एवं अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ 2-08-2022-लोसेप्रे- पी.एस.जी.-05 दिनांक 04 अप्रैल 2022 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.40 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.7	भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र (परिनिर्माण, निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन, प्रस्तावित रेखांक में परिवर्धन या परिवर्तन, पुनः विधिमान्यकर)	1. नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	24 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	24 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

		2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	24 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिक निगम	24 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		3. आयुक्त, नगर पालिक निगम	24 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	24 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
5.40	भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	1. नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त एवं अथवा, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्र. एफ 644-2377182-24-लासेप्रे 'इक्सठ-01 -पी.एस.जी. -05- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम .	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.44	कुर्सी निर्माण सम्बन्धी जाँच हेतु सर्वेक्षण	1. नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		2. नगर पालिका निगम क्षेत्र में, आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

5.45		1. नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
	भवन गिराना	2. नगर पालिका निगम क्षेत्र में, आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्र. एफ 642-P-2377168-लासेप्रे -इकसठ-01 -पी.एस.जी. -14- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा ,पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा ,प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
14.6	मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति प्राप्त न होने संबंधी (केवल लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	45 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	30 कार्य दिवस	आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, अपर सचिव.